

(Authoritative English Text of this Department notification No. HOME-A-B02/3/2023-HOME-A-HIMACHAL PRADESH SECRETARIAT dated 06.01.2024 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh  
Home Department

No. HOME-A-B02/3/2023-HOME-A-HIMACHAL PRADESH SECRETARIAT Dated Shimla-02, 06-01-2024

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 141 read with section 23 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, proposes to make the following rules for carrying out the purposes of the Act *ibid*;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) with regard to the same, he/she may send the same to the Secretary (Home) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2 within a period of 15 days from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period, shall be taken into consideration by the Government before finalization of the said rules, namely :-

**PART-I**

Short title and commencement	1.	(1)	These rules may be called The Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) Rules, 2024.
		(2)	These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-gazette), Himachal Pradesh.

Repeal and savings.	2.	(1)	The Himachal Pradesh Police Department (Recruitment of Constables) Rules, 2021 notified vide this Department Notification No. Home (A) A(3)-2/2020 dated 05-08-2021 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh dated 09th August, 2021 are, hereby, repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra, shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

## **PART -II**

Recruitment of constables.	3.	Recruitment shall be done 100 percent on regular basis once a year or at such frequency as may be required based on vacancies as may be determined.
Number and apportionment of posts.	4.	(1) The number of posts shall be determined/ created by the Government, from time to time.
		(2) Posts of Constables will be filled on the basis of the ratio of population of the district. Women shall be provided thirty percent (30%) horizontal reservation and will be filled up in all the categories of vertical reservation separately along with horizontal reservation being available to other categories. (3) Vacancies of Constable (Driver) shall be filled from among male candidates only.
Appointing authority.	5.	Commandants of Battalions shall be the appointing authority <a href="http://hpexams.in">hpexams.in</a>
Pay and allowances.	6.	The official shall draw such pay and allowances as may be determined by the State Government in this regard, from time to time.

Reservation.	7.	(1) Vertical Reservation amongst SC/ST/ OBC shall be as per Government instructions on the subject from time to time. Further, the persons belonging to Economically Weaker Sections (EWSs) who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs shall be provided 10% vertical reservation in direct recruitment. Special horizontal reservation for women, ex-servicemen, wards of freedom fighters, Antyodaya/ BPL, distinguished sports persons and Home Guards will be given as per Government instructions issued from time to time.
		(2) The requisition for vacancies of Ex- servicemen shall be sent by the Director General of Police, HP to the Secretary, Ex- servicemen Cell, Hamirpur to sponsor names. The requisition shall specify the number of posts for each District and the names will be sponsored accordingly.
		(3) In the event of non-availability of suitable/eligible candidate against the vacancy reserved for Ex-servicemen, the vacancy shall be carried forward for 2 calendar years and in the 3 <sup>rd</sup> year the said vacancy shall be filled up from the dependent sons, daughters and wives of Ex-Servicemen. If in the 3 <sup>rd</sup> year, the eligible/suitable candidate for whom the vacancy is reserved is not available, the same may be filled up from the respective residuary category to which the point belongs in that year itself. When it is obvious that Ex-servicemen would not at all be available for appointment to any category of posts, the posts so reserved for ex-servicemen may be filled-up by dependent sons, daughters and wives of ex-servicemen with the prior concurrence of the Ex-servicemen Cell, Himachal Pradesh. In case, sons, daughters and wives of Ex- servicemen for posts authorized to be filled are not available then reservation will be carried forward for 2 calendar years where after the vacancy shall be filled up from the respective residuary category to which the point belongs.

Eligibility	8.	(1) Education and other qualifications and physical standards will be as follows:-.				
Sr. No	Category	Age	Edu. Qlf.	Height		Chest for male candidate only.
				Male	Female	
1.	General	18 to 25 Yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31'x 32"
2.	SC/ST	18 to 27Yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29'x 30"
3.	OBC	18 to 27Yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31'x 32"
4.	Gorkhas	18 to 27 yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29'x 30"
5.	Home Guard (General/OBC)	20 to 28Yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31'x 32"
6.	Home Guard (SC/ST)	20 to 28 Yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29'x 30"
7.	Home Guard (Gorkhas)	20 to 28 Yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29'x 30"
8.	Distinguished Sportsman (General/ OBC)	18 to 27 Yrs	10+2	5'-6"	5'-2"	31'x 32"
9.	Distinguished Sportsman (SC/ST)	18 to 27Yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29'x 30"
10.	Distinguished Sportsman (Gorkhas)	18 to 27 Yrs	10+2	5'-4"	5'-0"	29'x 30"

		(2) In case of Ex-serviceman minimum qualification shall be matriculation. However, whenever the vacancies go to the wards of Ex-serviceman the education qualification will be 10+2.
		(3) A candidate shall be eligible for recruitment to the post of Constable, if he/she has passed Matriculation and 10+2 from any Institution/School/Board situated within Himachal Pradesh. Provided that this condition shall not apply to Bonafide Himachalis.



Physical standard test.	9.	(1) All measurements will be taken by a Medical Officer which shall be recorded in the Candidate Sheet and signed by the Medical Officer and countersigned by a Member of the Recruiting Agency. This process will be video graphed. The Committee shall award marks only for height as per the following table:-
-------------------------	----	---

S.No.	Height for Male candidate	Height for female candidate	Marks
1.	Less than 5'-7"	Less than 5'-3"	0 Mark
2.	5'-7" but less than 5'-8"	5'-3"but less than 5'-4"	1 Marks
3.	5'-8" but less than 5'-9"	5'-4"but less than 5'-5"	2 Marks
4.	5'-9" but less than 5'-10"	5'-5"but less than 5'-6"	3 Marks
5.	5'-10" but less than 5'-11"	5'-6"but less than 5'-7"	4 Marks
6.	5'-11" but less than 5'-12"	5'-7"but less than 5'-8"	5 Marks
7.	6'-0" and above	5'-8" and above	6 Marks

		(2) Candidates who do not meet the standards specified in sub-rule (1) of rule 8 shall be summarily declared unfit and informed accordingly.
Physical efficiency of candidates	10.	(1) Physical Efficiency Test will be of qualifying nature alone as per the following details:-

Sr. No.	Event	Minimum qualifying standard for Males	Minimum qualifying standard for Female candidates
1.	1500 Meters Race for Male (800 Meters Race for Female)	5 Minutes 30 Seconds (No additional attempt is allowed)	3 Minutes 45 Seconds (No additional attempt is allowed)
2.	High Jump	1.35 Meters (Maximum three attempts are allowed)	Minimum 1.10 Meter, (Maximum three attempts are allowed)
3.	100 Meters Race	14 Seconds (No additional attempt is allowed)	17 Seconds (No additional attempt is allowed)
4.	Broad Jump	4 Meters (Maximum three attempts are allowed)	3 Meters (Maximum three attempts are allowed)

		(2) The Recruiting Agency shall cause to be entered the record of timing and distance of the Physical Efficiency Test in the Candidate's Sheet which will be duly signed by each Member of the Recruiting Agency.
		(3) Candidates who fail to qualify in any event will be disqualified forthwith and will not participate in the remaining events.
		(4) Videography of the outdoor Physical Efficiency Test and Written Examination will be done for the sake of transparency.
		(5) The dope test shall be carried out to detect narcotics opiates at the outset of Physical Efficiency Test during the recruitment of Constables

Recruiting Agency	11.	The Recruiting Agency shall be HP Public Service Commission or any other agency as decided by the State Govt. from time to time. The written examination in online mode, shall be conducted by recruiting agency. The details of the conduct and evaluation of the written examination will separately notified by the recruiting agency. Written examination will be of 90 marks. The syllabus for the above written examination shall be of 10+2 standard. The questions papers will be provided in both languages i.e. English and the Hindi version.	
Evaluation	12.	The merit list to the post of Constables in the rank of Constables Class-III posts shall be made on the basis of the merit of written examination and specified educational qualification followed by evaluation, based on the following parameters:-	
	Written Test (90 Marks) and Height (06 Marks)		Total 96 Marks
i)	<b>NCC Certificates will be given a weightage of :</b> (a) NCC (C) certificate = 4 (b) NCC (B) Certificate= 2 (c) NCC (A) certificate = 1  A candidate who have all these certificates, will be given marks only for NCC (C) Certificate.		4 (Four)
	<b>Grand Total</b>		<b>100</b>

Publication of final result.	13.	(1) The list of selected candidates so received from the Recruiting Agency shall also be published in the notice Board.
		(2) Waiting List shall also be prepared at the same time in similar manner which shall not be displayed and shall be kept in the office of Recruiting Agency to take care of an eventuality when a suitable candidate either fails to join or is not found fit for appointment subsequently.
Medical examination	14.	(1) The selected candidates shall undergo a medical examination as per instructions of the State Government issued from time to time.
		(2) Suitable candidates from the waiting list shall be substituted in the place of the candidates who have been finally declared medically unfit.
Character and antecedents	15.	(1) The verification of character and antecedents of the selected candidate who have been selected provisionally will be carried out through concerned district police but the process for issuance of appointment letters will not be withheld due to pendency of such verification. The appointing authorities will issue provisional appointment letters after obtaining the filled and duly signed attestation form and self declaration from the candidate. In case, a candidate is found to have been convicted in a court of law, the applicant/candidate shall not be offered appointment irrespective of the nature of the offense and the period of sentence.
		(2) In case of a candidate against whom investigation trial is pending the offer of appointment may be held in abeyance until candidate/applicant get clearance during investigation or trial. Such a candidate shall not be deemed to have become overage on this account alone. (3) The post may be filled up from the waiting list and the candidate will be offered a subsequently occurring vacancy.

Appointment and probation	16.	The candidates appearing in the final merit list after declaration of medical fitness and verification of character and antecedents shall be issued a letter of appointment by the concerned appointing authority. All Police Constables on initial recruitment shall undergo induction training/Recruits Training Course in batches as determined by the Director General of Police, HP. The period of training shall be 9 months. After completion of basic Recruitment Training Course (RTC) the newly recruited Constables will undergo Special Commando Course at PTC Daroh. The Principal PTC Daroh will design a 04 weeks Commando Course for new recruits to make them Special Commandos. The syllabus of training and the schedule thereof shall be as may be notified by the Director General of Police, through Standing Orders. On successful completion of the RTC and Special Commando Course, the candidates will be called as Special Commando Constables. In case a recruit is unable to pass the recruitment training course and the special commando course, his/her service shall be liable to be terminated. Recruits will be confirmed only after successful completion of RTC & Special Commando Course and probation of 2 years including RTC & Special Commando Course.
Roster and seniority	17.	(1) A district wise 100 point roster to determine the number of vertically and horizontally reserved vacancies in respect of Constable cadre shall be followed in terms of provisions of the rules and instructions issued by the State Government from time to time, if applicable.
		(2) The seniority of the selected Constables shall be maintained by the respective Appointing Authority as per level of the cadre in accordance with the rules/ instructions issued by the State Government on the subject from time to time.
Power to relax:	18.	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision(s) of these rules.

By Order

Dr. Abhishek Jain, IAS  
Secretary (Home) to the  
Government of Himachal Pradesh



हिमाचल प्रदेश सरकार  
गृह विभाग

संख्या:गृह-ए-बी02/3/2023-गृह-ए-हिमाचल प्रदेश सचिवालय तारीख: शिमला-2 06.01.2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 23 के साथ पठित धारा 141 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं;

यदि इन प्रारूप नियमों से संभाव्य प्रभावित होने वाले किसी भी व्यक्ति को, इन नियमों की बाबत, कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं; तो वह आक्षेप या सुझाव को राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, पर सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात्:-

भाग-1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1.	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2024 हैं ।
		(2)	ये नियम राजपत्र(ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
निरसन और व्यावृत्तियों।	2.	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह(ए)ए(3)-2/ 2020, तारीख 05.08.2021 द्वारा अधिसूचित और तारीख 09 अगस्त, 2021 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल की भर्ती) नियम, 2021 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम (1)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

भाग—II

कांस्टेबल की भर्ती।	3.	भर्ती वर्ष में एक बार या ऐसे अन्तराल जैसा रिक्तियों के आधार पर यथा अपेक्षित सुनिश्चित(निर्धारित)किया जाए, शतप्रतिशत नियमित आधार पर की जाएगी।
पदों की संख्या और प्रभाजन।	4.	(1) पदों की संख्या ऐसी होगी, जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित/सृजित की जाए। (2) कांस्टेबल के पद, जिले की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भरे जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों को तीस प्रतिशत (30%) क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाएगा और अन्य प्रवर्गों को उपलब्ध ऊर्ध्वाधर आरक्षण सहित क्षैतिज आरक्षण के समस्त प्रवर्गों में पृथकतः भरा जाएगा। (3) कांस्टेबल (चालक) की रिक्तियां केवल पुरुष अभ्यर्थियों में से भरी जाएंगी।
नियुक्ति प्राधिकारी।	5.	बटालियन के कर्मांडेंट नियुक्ति प्राधिकारी होंगे।
वेतन और भत्ते।	6.	कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते आहरित करेगा जैसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अवधारित किए जाएं।
आरक्षण।	7.	(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य ऊर्ध्वाधर आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0), जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, को सीधी भर्ती में दस प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान किया जाएगा। महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों, स्वतन्त्रता सैनानियों के प्रतिपाल्यों(वार्डों), अन्तोदय, बीपीएल, विशिष्ट खिलाड़ियों और गृह रक्षकों के लिए विशेष क्षैतिज (हॉरिजन्टल) आरक्षण सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा। (2) भूतपूर्व सैनिकों की रिक्तियों के लिए अध्यपेक्षा को पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा सचिव, भूतपूर्व सैनिक सैल, हमीरपुर को नाम प्रेषित/प्रायोजित करने के लिए भेजा जाएगा। अध्यपेक्षा में प्रत्येक जिला के लिए पदों की संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी और नामों को तदनुसार प्रायोजित किया जाएगा।

		(3) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध उपयुक्त/पात्र अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की दशा में, रिक्ति को आगामी दो कलेंडर वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा और तृतीय वर्ष में उक्त रिक्ति को भूतपूर्व-सैनिकों के आश्रित पुत्रों/पुत्रियों और पत्नियों में से भरा जाएगा। यदि तृतीय वर्ष में पात्र/उपयुक्त अभ्यर्थी, जिनके लिए रिक्ति पद आरक्षित हैं, उपलब्ध नहीं हो तो उसे संबंधित अवशिष्ट प्रवर्ग, जिसके हेतुक उस वर्ष बिन्दु स्वतः सम्बन्धित है, में से भरा जाएगा। जब यह स्पष्ट हो कि भूतपूर्व-सैनिक के पदों के किसी प्रवर्ग की नियुक्ति हेतु किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं होगा तो भूतपूर्व-सैनिकों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदों को भूतपूर्व-सैनिक सैल, हिमाचल प्रदेश की पूर्व सहमति से भूतपूर्व-सैनिकों के आश्रित पुत्रों, पुत्रियों और पत्नियों में से भरा जा सकेगा। यदि भरे जाने वाले प्राधिकृत पदों हेतु भूतपूर्व-सैनिकों के पुत्र, पुत्रियां और पत्नियां उपलब्ध न हों तो आरक्षण को आगामी दो कैलेण्डर वर्षों के लिए अग्रनीत किया जाएगा, जिसके पश्चात रिक्ति को संबंधित अवशिष्ट प्रवर्ग, जिसके हेतुक बिन्दु सम्बन्धित है, में से भरा जाएगा।
पात्रता।	8.	(1) शैक्षिक और अन्य अर्हताएं तथा शारीरिक मानदण्ड निम्न प्रकार से होंगे:-

क्रम संख्या	प्रवर्ग	आयु	शैक्षिक अर्हता	लम्बाई		छाती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए
				पुरुष	महिला	
1.	सामान्य।	18 से 25 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग।	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
4.	गोरखा।	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
5	गृह रक्षक(सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।	20 से 28 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
6	गृह रक्षक( अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति)।	20 से 28 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
7	गृह रक्षक(गोरखा)।	20 से 28 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"
8	विशिष्ट खिलाड़ी( सामान्य/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-6"	5'-2"	31"x 32"
9	विशिष्ट खिलाड़ी(अनुसूचित	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"

	जाति/अनुसूचित जनजाति)					
10	विशिष्ट खिलाड़ी(गोरखा) ।	18 से 27 वर्ष	10+2	5'-4"	5'-0"	29"x 30"

		(2) भूतपूर्व-सैनिकों की दशा में न्यूनतम अर्हता दसवीं पास होगी। तथापि, जब कभी भी रिक्तियां भूतपूर्व-सैनिकों के प्रतिपाल्यों को जाती हैं तो उनकी शैक्षिक अर्हता 10+2 होगी।
		(3) अभ्यर्थी कांस्टेबल के पद की भर्ती के लिए पात्र होगा, यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी संस्थान /स्कूल/बोर्ड से दसवीं और दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। परंतु यह शर्त हिमाचल के वास्तविक निवासी को लागू नहीं होगी।

शारीरिक मानपरीक्षण।	9	(1) समस्त माप चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिए जाएंगे, जिन्हें अभ्यर्थी की शीट में अभिलिखित किया जाएगा और चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा भर्ती अभिकरण के सदस्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। समिति निम्नलिखित सारणी के अनुसार केवल लम्बाई के लिए ही अंक प्रदान करेगी:-
---------------------	---	--

क्रम सं०	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए लम्बाई	महिला अभ्यर्थियों के लिए लम्बाई	अंक
1.	5'-7" से कम	5'-3" से कम	0 अंक
2.	5'-7" किन्तु 5'-8" से कम	5'-3" किन्तु 5'-4" से कम	1 अंक
3.	5'-8" किन्तु 5'-9" से कम	5'-4" किन्तु 5'-5" से कम	2 अंक
4.	5'-9" किन्तु 5'-10" से कम	5'-5" किन्तु 5'-6" से कम	3 अंक
5.	5'-10" किन्तु 5'-11" से कम	5'-6" किन्तु 5'-7" से कम	4 अंक
6.	5'-11" किन्तु 5'-12" से कम	5'-7" किन्तु 5'-8" से कम	5 अंक
7.	5'-11" और अधिक	5'-8" और अधिक	6 अंक

		(2) अभ्यर्थी, जो नियम 8 के उप नियम(1) में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा नहीं करते हैं, को संक्षिप्ततः अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।
--	--	--



अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण ।	10.	(1) शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार केवल अर्हक प्रकृति का होगा:-
---	-----	--

क्रम सं०	प्रतिस्पर्धा	पुरुषों के लिए न्यूनतम अर्हतामान	महिलाओं के लिए न्यूनतम अर्हता मान
1	पुरुषों के लिए 1500 मीटर दौड़, (महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़)।	5 मिनट 30 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा)	3 मिनट 45 सैकण्ड(कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा)
2	ऊँची कूद	1.35 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)	न्यूनतम 1.10 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)
3	100 मीटर दौड़	14 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)	17 सैकण्ड (कोई अतिरिक्त प्रयास अनुज्ञात नहीं किया जाएगा)
4	लम्बी कूद	4 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)	3 मीटर (अधिकतम तीन प्रयास अनुज्ञात किए जाएंगे)

		(2) भर्ती एजेंसी अभ्यर्थी की शीट में शारीरिक दक्षता परीक्षण का समय और दूरी का अभिलेख प्रविष्ट करवाएगी जिसे समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा।
		(3) अभ्यर्थी, जो किसी प्रतिस्पर्धा को अर्हित करने में असफल रहते हैं, को तत्काल (तुरंत) निरर्हित कर दिया जाएगा और वे शेष प्रतिस्पर्धाओं में भाग नहीं ले सकेंगे।
		(4) पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बाहरी शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षा की वीडियोग्राफी की जाएगी।
		(5) कांस्टेबलों की भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षण के आरम्भ में मादक पदार्थों के सेवन का पता लगाने हेतु डोप टेस्ट(परीक्षण) किया जाएगा।
भर्ती अभिकरण	11	हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग या सक्षम सरकार द्वारा समय समय पर यथा विनिश्चित कोई अन्य अभिकरण भर्ती अभिकरण होगा। लिखित परीक्षा आनलाईन पद्धति में भर्ती अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। आनलाईन पद्धति में भर्ती अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। लिखित परीक्षा के संचालन और

		मूल्यांकन के ब्यौरे पृथकत या भर्ती अभिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 10+2 स्तर का होगा । प्रश्न पत्र दोनों भाषाओं अर्थात अंग्रेजी और हिंदी पाठ में उपलब्ध कराया जाएगा।	
मूल्यांकन।	12	कांस्टेबल वर्ग-III पदों के रैंक में कांस्टेबल के पद के लिए चयन लिखित परीक्षा के गुणागुण और विहित शैक्षिक अर्हता और निम्नलिखित मापदण्डों पर आधारित मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा:—	
	लिखित परीक्षा (90 अंक) और लम्बाई (06 अंक)		कुल 96 अंक
i)	एन.सी.सी. प्रमाण पत्रों को निम्नानुसार वरीयता दी जाएगी: (क) एन.सी.सी.(सी) प्रमाण पत्र = 4 (ख) एन.सी.सी.(बी) प्रमाण पत्र = 2 (ग) एन.सी.सी.(ए) प्रमाण पत्र = 1  जिस अभ्यर्थी के पास ये दोनों प्रमाणपत्र हैं, उसको केवल एन.सी.सी. (सी) प्रमाणपत्र के लिए ही अंक दिए जाएंगें।		4 (चार)
	कुल योग		100

अन्तिम परिणाम का प्रकाशन।	13	(1) भर्ती अभिकरण से इस प्रकार प्राप्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची नोटिस बोर्ड में भी प्रदर्शित की जाएगी।
		(2) प्रतीक्षा सूची को भी उसी समय और उसी रीति में तैयार किया जाएगा किन्तु उसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा तथा यदि किसी अभ्यर्थी के या तो कार्यग्रहण करने में असफल रहने या नियुक्ति के लिए पश्चात्वर्ती उपयुक्त न पाए जाने की संभावित-परिस्थिति का ध्यान रखने के लिए सम्बद्ध पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में रखा जाएगा।
चिकित्सा परीक्षण।	14	(1) चयनित अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा समय समय जारी निर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण करवाना होगा।
		(2) प्रतीक्षा सूची से उपयुक्त अभ्यर्थी को उन अभ्यर्थियों, जिन्हें अंतिम रूप से चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, के स्थान पर रखा जाएगा।
चरित्र और पूर्ववृत्त।	15	(1) चयनित अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से चयनित किए गए हैं, के चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन सम्बद्ध जिला पुलिस के माध्यम से किया जाएगा, किन्तु ऐसे सत्यापन

		<p>के लंबित होने के कारण नियुक्ति पत्रों के जारी किए जाने की प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थी से सम्यक् रूप से भरे गए और हस्ताक्षरित सत्यापित प्रपत्र अभिप्राप्त करने और स्व-घोषणा करने के पश्चात् अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी विधि के न्यायालय से दोषसिद्ध पाया जाता है तो ऐसे आवेदक/अभ्यर्थी को अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि पर विचार किए बिना नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।</p>
		<p>(2) किसी अभ्यर्थी की दशा में जिसके विरुद्ध अन्वेषण विचारण (ट्रायल) लंबित है, नियुक्ति का प्रस्ताव तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि अभ्यर्थी/आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान समाशोधन प्राप्त नहीं कर लेता है। ऐसा अभ्यर्थी केवल इस कारण से अधिक आयु का हुआ नहीं समझा जाएगा।</p>
		<p>(3) पद को प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा और अभ्यर्थी को पश्चात्पूर्वी होने वाली रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।</p>
नियुक्ति और परीक्षा।	16.	<p>चिकित्सा उपयुक्तता (फिटनेस) की घोषणा और चरित्र और पूर्ववृत्तों का सत्यापन के पश्चात् अंतिम गुणागुण सूची में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को सम्बद्ध नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। प्रारंभिक भर्ती पर समस्त पुलिस कांस्टेबलों को पुलिस महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश द्वारा यथा अवधारित बैचों में प्रवेश प्रशिक्षण/भर्ती प्रशिक्षण कोर्स करना होगा। प्रशिक्षण की अवधि नौ मास की होगी। बुनियादी भर्ती प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (आरटीसी) पूरा होने के बाद भर्ती कांस्टेबल पीटीसी डरोह में विशेष कमांडो प्रशिक्षण से गुजरेंगे। प्रिंसिपल पीटीसी डरोह नए रंगरूटों को विशेष कमांडो बनाने के लिए 04 सप्ताह का कमांडो कोर्स तैयार करेंगे। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और उसका कार्यक्रम पुलिस महानिदेशक द्वारा स्थायी आदेशों के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा। भर्ती प्रशिक्षण कोर्स और स्पेशल कमांडो कोर्स के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को स्पेशल कमांडो कांस्टेबल के रूप में बुलाया जाएगा। यदि कोई भर्ती किए जाने वाला व्यक्ति भर्ती प्रशिक्षण कोर्स और स्पेशल कमांडो कोर्स को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी सेवा</p>

		पर्यवसित किए जाने हेतु दायी होगी। भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का भर्ती प्रशिक्षण कोर्स के और स्पेशल कमांडों कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण होने और भर्ती प्रशिक्षण कोर्स और स्पेशल कमांडों कोर्स सहित दो वर्ष की परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात ही स्थायीकरण किया जाएगा।
रोस्टर और वरिष्ठता।	17	(1) कांस्टेबल के संवर्ग (काडर) की बाबत ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षित रिक्तियों की संख्या को अवधारित करने हेतु जिलावार शतप्रतिशत बिन्दु रोस्टर, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों और अनुदेशों, यदि लागू हैं, का अनुसरण किया जाएगा।
		(2) चयनित कांस्टेबलों(अभ्यर्थियों) की वरिष्ठता सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस विषय पर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार काडर (संवर्ग) के स्तरानुसार अनुरक्षित की जाएगी।
शिथिल करने की शक्ति।	18	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना अनिवार्य या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेशों द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध(उपबन्धों)को शिथिल कर सकेगी।

आदेश द्वारा,

डा०अभिषेक जैन, भा० प्र० से०  
सचिव(गृह)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।